MOST IMMEDIATE

No. R- 11016/2/2015-P&C
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food &Public Distribution
(Department of Consumer Affairs)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 16th August,, 2018

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the month July, 2018 in respect of Department of Consumer Affairs – regarding.

****

Please find enclosed as Annexure to this letter, the unclassified portion of the Monthly Summary for the Cabinet for the Month **July, 2018** in respect of Department of Consumer Affairs for kind information. Hindi version will follow.

(Anand Joshi)
Under Secretary (P&C)
Ph. No. 23097042

To

Copy with enclosures, forwarded to through email

1. All Members of Council of Ministers.
2. PIO/Ministry of Information & Broadcasting.
3. Secretary to Vice- President.
4. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat Rashtrapati Bhavan, New Delhi.
5. Secretaries to the Government of India. (As per the list)
6. Chairmen, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.
7. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi.

Ministry of Consumers Affairs, Food and Public Distribution
(Department of Consumer Affairs)

****

The following are the important activities of Department of Consumer Affairs during the **month of July, 2018**:

1. Pulses Buffer Stock:

Four Weekly Review Meetings on Disposal of pulses were held during the month of July, 2018 to monitor and expedite disposal of pulses from the identified stocks. Off take of around 11000 MT and 4600 MT of pulses for States under MDM and ICDS happened during July, 2018.

As on 31.07.2018, the available stock in the pulses buffer is 9.87 lakh MT after disposal of 10.63 lakh MT from 20.50 lakh tonnes procured/imported.

A CoS meeting was held on 24.07.2018 on issues concerning supply of pulses from the Central Buffer stock under ICDS, MDM Scheme etc. The recommendations of the CoS are being acted upon in earnest including resolution of storage space in few States and communication of supply price to the States.

2. NCCF:

At present there is no MD nor Chairman in NCCF and it is in state of lawlessness. An order dated 24th July, 2018 was issued under Section 123 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (The MSCS Act) for superseding the Board of NCCF. The NCCF and Board members challenged the order of supersession in the High Court of Delhi. Ld. Single Judge has stayed the order till next date of hearing and also ordered that NCCF will not hold any meeting of the Board. The next date of hearing is 21st August, 2018. Earlier Board of NCCF held a meeting on 12 July 2018 despite Government direction u/s 122 not to hold the meeting. The Board took various irregular decisions like reverting the Chief Vigilance Officer, NCCF, sanctioning salary of MD to GM, etc. Based on opinion of Ld. ASGI, a reference has been prepared for CRCS u/s 84 of the MSCS Act to cancel the minutes of the meeting. Same is being settled by Ld. ASGI.

3. 3rd Session of IGE on UNGCP

Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, along with Secretary, Consumer Affairs attended the 3rd Session of the Inter-Governmental Group of Experts (IGE), set up under the revised UN Guidelines on Consumer Protection (UNGCP), at Geneva during 9-10 July 2018. The Hon'ble Minister in his statement.

the Opening Plenary Session highlighted the steps taken by India to fully implement the Sustainable Development Goals under the visionary leadership of the Hon'ble Prime Minister, the policies of Government to ensure food security for the country, the policy initiatives in the new Consumer Protection Bill etc. In an interview with UNCTAD, the Hon'ble Minister explained the importance of the role of UNCTAD in the field of Consumer Rights Protection. Following the last year's proposal by Argentina on declaration of World Consumer Protection Week in the week of 15th March, India moved a compromise proposal to proclaim the World Consumer Protection Week to take place yearly during the week of 15 March, and to celebrate the World Consumer Rights Day on 15th March, as appropriate.

4. Super Bazar

M/s Writers & Publishers Ltd. (WPL) filed a case against Official Liquidator of Super Bazar for non-payment of their dues as per order dated 29.03.2016 according to which CAG was to verify income and expenditure incurred by WPL as administrator of Super Bazar. On 17.05.2018 the Hon'ble Supreme Court passed an order for implementation of its order dated 29.03.2016 and also ordered correction of CAG's report in favour of M/s WPL. Government was not a party in the matter.

After the order dated 17.05.2018, the then official liquidator Dr. A.K. Mishra, Retd. Director (Co-operation), DACFW whose term expired on 15.05.2018 unauthorisedly issued a cheque for Rs. 35 crore in favour of WPL. Being unauthorized, the payment was stopped by this Department. On this, WPL filed a contempt petition in the Hon'ble Supreme Court.

Affidavits on behalf of the present Liquidator and contemnor have been filed. Also, an application will be filed before the Hon'ble Court for modification of order dated 29.03.2016 and 17.05.2018. Next date of hearing is 24.08.2018.

5. Bureau of Indian Standards:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Bureau of Indian Standards and Ghana Standards Authority, Ghana for cooperation in the fields of Standardization and Conformity Assessment was signed during the visit of Minister of Foreign Affairs and Regional Integration, Ghana to India on18 July 2018.

A two-day workshop on National Building Code of India 2016 jointly organized by BIS and Indian Buildings Congress (IBC) on 13-14 July 2018 was inaugurated by Hon'ble Minister for PWD, Housing, Environment & Transport, Govt of Chhattisgarh and was presided over by DG, BIS.

6. The details of Annual rate of inflation are as follows:

Sl. No.	Indices	Inflation Rate (in %)		
		June, 2018 (Provisional)	**May, 2018 (Provisional)**	**June, 2017 (Final)**
1	Wholesale Price# Index (**Annual**)	5.77	4.43	0.90
2	Wholesale Price Index# (**Food Articles**)	1.80	1.60	3.20
3	Consumer Price Index (**Industrial Workers**)	3.93	3.96	1.08
4	Consumer Price Index (**Combined**)*	5.00	4.87	1.46
5	Consumer Price Index (**Consumer Food Price Index**)*	2.91	3.10	-2.12

*: series2012=100 #: New Base year 2011-12=100

7. Price trends for the month of July, 2018 over June, 2018 for all India monthly average retail prices from 105 centers across the country as reported by the respective Civil Supplies Departments of States/UTs are given at **Annexure-I.**

8. Three new Price Reporting Centers namely, Tura, Gaya and Muzzafarpur were added in month of July. With the addition of these three Price Centres, total number has centers has increased to 105 across country.

9. The update on other points to be reported to Cabinet Secretariat is at **Annexure II**.

Annexure-I

Prices of Essential Commodities – Trend over the past month:

The All India monthly average Retail prices of 22 essential commodities from 105 centers across the country as reported by the respective Civil Supplies Department of State Government/ UTs are compiled and average retail prices for the month of July, 2018 over June, 2018 are given below:-

All India monthly Average Retail Prices of Essential Commodities (Rs /Kg)

Sl.No.	Commodity	July, 2018 (latest)	June, 2018 (previous) month)	Difference (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rice	30	30	0
2	Wheat	24	24	0
3	Atta	26	26	0
4	Gram Dal	63	64	-1
5	Tur Dal	70	70	0
6	Urad Dal	69	69	0
7	Moong Dal	73	73	0
8	Masoor Dal	61	60	1
9	Sugar	39	37	2
10	Milk	43	42	1
11	Groundnut Oil	125	125	0
12	Mustard Oil	106	105	1
13	Vanaspati	81	80	1
14	Soya oil	90	89	1
15	Sunflower Oil	97	96	1
16	Palm Oil	78	78	0
17	Gur	43	43	0
18	Tea loose	210	210	0
19	Salt Pack	15	15	0
20	Potato	22	20	2
21	Onion	21	18	3
22	Tomato	29	21	8

Source: State Civil Supplies Departments.

Annexure II

Department of Consumer Affairs

1. Important policy matters held up on account of prolonged inter-ministerial consultations:

NIL

2. Compliance of CoS decisions:-

Updated in e-Samiksha portal.

3. No of cases of 'sanction for prosecution' pending for more than three months:-

NIL

4. Particulars of cases in which there has been a departure from the Transaction of Business Rules or established policy of the Government:-

NIL

5. Status of implementation of e-Governance:

Total No. of files	Total No. of e-files
271	**218**

6. Status of Public Grievances:

No of Public Grievances redressed during the month of July, 2018	No of Public Grievances pending at the end of July, 2018
983	**738**

7. Minimum Government, Maximum Governance:

Price Monitoring Cell (PMC) of the Department of Consumer Affairs monitors the retail and wholesale prices of 22 essential commodities on daily basis. These prices are reported by State Civil Supplies Departments on daily basis mainly through online portal. These prices are disseminated through the Department website immediately. Because of the online price reporting, the time taken to report and dissemination is less. As per instructions/guidelines even other routine office work is being shifted on line to reduce delays and for more efficient results.

******

<u>अति तत्काल</u>

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 20 अगस्त, 2018

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2018 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जुलाई, 2018** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

(आनन्द जोशी)

अवर सचिव (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 23097042

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

******

जुलाई, 2018 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित रहीं:

1. **दालों का बफर स्टॉक**

दालों के निपटान के सम्बन्ध में चिह्नित स्टॉकों से दालों के निपटान की मानीटरिंग करने तथा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए जुलाई, 2018 माह के दौरान 4 साप्ताहिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। जुलाई, 2018 के दौरान, मध्याह्न भोजन तथा आई.सी.डी.एस. के तहत राज्यों के लिए लगभग 11000 मीट्रिक टन तथा 4600 मीट्रिक टन दालों का उठान किया गया।

दिनांक 31.07.2018 की स्थिति के अनुसार अधिप्राप्त/आयात किए गए 20.50 लाख टन से 10.63 लाख मीट्रिक टन का निपटान किए जाने के बाद दालों का उपलब्ध बफर स्टॉक 9.87 लाख मीट्रिक टन है।

आई.सी.डी.एस., मध्याह्न भोजन स्कीमों इत्यादि के तहत केन्द्रीय बफर स्टॉक से दालों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की बैठक दिनांक 24.07.2018 को आयोजित की गई थी। कुछेक राज्यों में भंडारण-स्थान का समाधान तथा राज्यों को आपूर्ति –मूल्य के संप्रेषण सहित सचिवों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है।

2. **एन.सी.सी.एफ.**

वर्तमान में एन.सी.सी.एफ. में न तो कोई प्रबंध-निदेशक है और न ही अध्यक्ष और यह अव्यवस्था की स्थिति में है। एन.सी.सी.एफ. बोर्ड का अधिक्रमण करने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 (एम.एस.सी.एस. एक्ट) की धारा 123 के तहत एक आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी किया गया था। एन.सी.सी.एफ. तथा बोर्ड के सदस्यों ने अधिक्रमण के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय एकल न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तक आदेश पर रोक लगा दी तथा यह आदेश भी दिया कि एन.सी.सी.एफ. द्वारा बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त, 2018 है। इससे पूर्व, एन.सी.सी.एफ. के बोर्ड ने बैठक आयोजित न करने के लिए धारा 122 के तहत सरकार के निदेश के बावजूद, दिनांक 12 जुलाई, 2018 को एक बैठक आयोजित की। बोर्ड द्वारा एन.सी.सी.एफ. के मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने तथा प्रबंध निदेशक को मुख्य प्रबंधक आदि का वेतनमान संस्वीकृत करने जैसे विभिन्न अनियमिततापूर्ण निर्णय लिए गए। माननीय ए.एस.जी.आई. के मत के आधार पर बैठक के कार्यवृत्त को निरस्त करने के लिए एम.एस.सी.एस. अधिनियम की धारा- 84 के अंतर्गत सी.आर.सी.एस. के लिए एक संदर्भ तैयार किया गया है। इसका निपटान माननीय ए.एस.जी.आई. द्वारा किया जा रहा है।

3. **यू.एन.जी.सी.पी. पर आई.जी.ई. का तीसरा सत्र**

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सचिव, उपभोक्ता मामले के साथ दिनांक 9-10 जुलाई, 2018 के दौरान, जेनेवा में उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र के संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गठित अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह (आई.जी.ई.) के तीसरे सत्र में भाग लिया।

आरम्भिक पूर्ण सत्र के दौरान माननीय मंत्री जी ने अपने सम्बोधन में, माननीय प्रधान मंत्री जी के दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व के तहत सतत् विकास के लक्ष्यों को पूर्णत: कार्यान्वित करने, देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों, नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में प्रस्तावित नई नीतिगत पहलों इत्यादि के बारे में किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। अंकटाड (यू.एन.सी.टी.ए.डी.) के साथ एक साक्षात्कार में माननीय मंत्री जी ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में अंकटाड (यू.एन.सी.टी.ए.डी.) की भूमिका के महत्व का उल्लेख किया। पिछले वर्ष, अर्जेंटीना द्वारा 15 मार्च के सप्ताह को विश्व उपभोक्ता संरक्षण सप्ताह घोषित करने के प्रस्ताव के अनुसरण में, भारत द्वारा 15 मार्च के सप्ताह के दौरान वार्षिक रूप से विश्व उपभोक्ता संरक्षण सप्ताह मनाने और दिनांक 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने, जो भी उचित हो, के सम्बन्ध में एक निष्ठापूर्ण प्रस्ताव दिया गया।

4. सुपर बाज़ार

मैसर्स राईटर्स एंड पब्लिशर्स लि0 (डब्ल्यू.पी.एल.) द्वारा सुपर बाज़ार के शासकीय परिसमापक के विरूद्ध, दिनांक 29.03.2016 के आदेश, जिसके अनुसार सुपर बाज़ार के प्रशासक के रूप में डब्ल्यू.पी.एल. की आय और उनके द्वारा किए गए खर्च का सत्यापन सी.ए.जी. द्वारा किया जाना था, के अनुसार उनकी देय राशि का भुगतान न करने के लिए एक मामला दायर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29.03.2016 के आदेश का कार्यान्वयन करने के लिए दिनांक 17.05.2018 को एक आदेश पारित किया और सी.ए.जी. की रिपोर्ट को मैसर्स डब्ल्यू.पी.एल. के पक्ष में संशोधित करने का आदेश भी दिया। इस मामले में सरकार पक्षकार नहीं थी।

दिनांक 17.05.2018 के आदेश के उपरान्त, तत्कालीन शासकीय परिसमापक डॉ. ए.के. मिश्रा, सेवानिवृत्त निदेशक (सहकारिता) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, जिनका कार्यकाल दिनांक 15.05.2018 को समाप्त हो गया था, द्वारा अनाधिकृत रूप से डब्ल्यू.पी.एल. के पक्ष में 35 करोड़ रुपये का एक चेक जारी कर दिया गया। अनाधिकृत होने के कारण, इस विभाग द्वारा यह भुगतान रूकवा दिया गया। इस पर, डब्ल्यू.पी.एल. द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की गई।

वर्तमान परिसमापक और अवज्ञा करने वाले की ओर से शपथ-पत्र दायर किए गए हैं। दिनांक 29.03.2016 और 17.05.2018 के आदेशों में संशोधन करने के लिए भी एक आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 24.08.2018 है।

5. भारतीय मानक ब्यूरो:

घाना के विदेश और क्षेत्रीय एकता मामलों के मंत्री के दिनांक 18 जुलाई, 2018 के भारत दौरे के दौरान, मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो और घाना मानक प्राधिकरण, घाना के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।

दिनांक 13-14 जुलाई, 2018 को भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय भवन कांग्रेस (आई.बी.सी.) द्वारा संयुक्त रूप से भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उदघाटन छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय लोक निर्माण विभाग, आवास, पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई।

6. **मंहगाई की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

क्रम सं.	सूचकांक	मंहगाई दर (%में)		
		जून, 2018 (अनन्तिम)	मई, 2018 (अनन्तिम)	जून, 2018 (अन्तिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक # **(वार्षिक)**	5.77	4.43	0.90
2	थोक मूल्य सूचकांक # **(खाद्य वस्तुएं)**	1.80	1.60	3.20
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(**औद्योगिक कामगार)**	3.93	3.96	1.08
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	5.00	4.87	1.46
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)#**	2.91	3.10	-2.12

* श्रृंखला: 2012=100 # नया आधार वर्ष: 2011-12=100

7. राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 105 केंद्रों से प्राप्त, जून, 2018 माह की तुलना में जुलाई, 2018 माह में अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

8. जुलाई माह में तीन नए मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों नामत: तूरा, गया और मुजफ्फरपुर को जोड़ा गया। इन तीन मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों के साथ ही पूरे देश में केन्द्रों की संख्या बढ़कर 105 हो गई।

9. अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय को संसूचित की जाने वाली- अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्यों सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 105 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और जून, 2018 माह की तुलना में जुलाई, 2018 माह में अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों के रूझान नीचे दिए गए है:-

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें (रूपए/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	जुलाई, 2018 (नवीनतम)	जून, 2018 (विगत माह)	अन्तर (रूपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	30	30	0
2	गेहूं	24	24	0
3	आटा	26	26	0
4	चना दाल	63	64	-1
5	तूर दाल	70	70	0
6	उड़द दाल	69	69	0
7	मूंग दाल	73	73	0
8	मसूर दाल	61	60	1
9	चीनी	39	37	2
10	दूध	43	42	1
11	मूंगफली का तेल	125	125	0
12	सरसों का तेल	106	105	1
13	वनस्पति	81	80	1
14	सोया तेल	90	89	1
15	सूरजमुखी का तेल	97	96	1
16	पॉम ऑयल	78	78	0
17	गुड़	43	43	0
18	चाय खुली	210	210	0
19	नमक पैकबंद	15	15	0
20	आलू	22	20	2
21	प्याज़	21	18	3
22	टमाटर	29	21	8

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग

1. लम्बे अंतर मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

-कोई नहीं -

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन:

ई-समीक्षा पोर्टल पर अपटेड कर दिया गया है।

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:

फाईलों की कुल संख्या	ई-फाईलों की कुल संख्या
271	**218**

6. लोक शिकायतों की स्थिति:

जुलाई, 2018 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	जुलाई, 2018 माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
983	**738**

8. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। यह कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाईन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को तत्काल ही विभाग की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित कर दिया जाता है। कीमतों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। विलम्ब से बचने तथा अधिक प्रभावी परिणामों के लिए दिए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यालय के दिन-प्रति-दिन के अन्य कार्यों को भी ऑनलाईन किया जा रहा है।

****